international airport. I appeal to the Government to do justice to our Mecca, and our Vatican. Sri Amritsar.

Price preference to the Public Sector Undertakings in the country

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): It is common knowledge that since the inception of public sector undertakings these are provided with a particular price preference while finalising any business proposition. Such practice has certainly given a boost to the undertakings owned by the nation and that has been of great advantage to our national economy and helped in realising our cherished objectives of self-reliance.

I understand from some reliable sources that there is going to be a paradigm shift in such consideration and attempts are being made to do away with the policy of providing price preference to the PSUs.

To my knowledge any such decision contrary to the existing practice will certainly jeopardise the interests of the PSUs and will subvert the national economic growth and issue of self-reliance.

Hence I shall most fervently urge upon the Government of India to dissuade from any such decision and protect the interests of the PSUs.

Demand to bring relief to aged house owners in the country whose houses are not vacated by the tenants

श्रीमती जमना देवी बारुपाल (राजस्थान) : माननीय उपसमापति जी, मेरे विशेष उल्लेख का विषय है - किराएदारों से वृद्ध मकान मालिकों को राहत दिलाने हेतु।

मानीय उपसमापित जी, मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार का ध्यान एक ऐसे मुद्दे की तरफ आकर्षित कराना चाहूंगी जो बहुत गंभीर मुद्दा है। जब आदमी नौकरी से रिटायर हो जाता है या ढसती जम्न को देखकर यह सोचता है कि अर मैं अम करने में असहाय हो गया हूं, तब वह अपनी कड़ी मेहनत से बनाया गया मकान-या दुकान अपनी उदरपूर्ति के लिए किराए पर दे देता है। कुछ दिन बाद ही किराएदार समय पर किराया नहीं देता, उल्टा मकान या दुकान हड़पने की चाह में उसको कोर्ट-कचहरी पहुंचा देता है, उसको जर्जर वृद्धावस्था में भी कोर्ट-कचहरी तक जाने को मजबूर कर देता है - उस वृद्ध से पैरों से नहीं चला जाता, वह कानों से कम सुनता है, उसकी जुबान लड़खड़ाती है। ऐसी स्थिति में वृद्ध जन को उन क्रूर किराएदारों से तुरंत प्रभाव से, दुकान हो या मकान, उसे खाली करवाकर मकान मालिक की सहायता करनी चाहिए क्योंकि किराएदार की नीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी घृणित क्रूर मनोवृत्ति की सीमा नहीं रहती। हर प्रकार से वह मकान मालिक को परेशान करने में लगा रहता है और वह वृद्ध अपनी खरी कमाई को जाते देखकर वकीलों के पास गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है, लेकिन किराएदार को न दया आती है, न शर्म। ऐसी स्थित में सरकार ही उसकी मदद कर सकती है।